न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 55 / 2023
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023 / 117

प्रार्थी

देविका पत्नी जोगेन्द्रसिंह वगैरह

अप्रार्थीगण

अशोक कुमार पुत्र खंगारा वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 03.11.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8, 10 लगायत 40 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 16.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा खारा पटवार हल्का खारा में खेत खाता संख्या 383 के खसरा नंबर 1128 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1129 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1784 / 1130 रकबा 2.9462 हैक्टेयर, खसरा नंबर 574 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 8.25 हैक्टेयर कुल रकबा 12.4162 हैक्टेयर व खाता संख्या 385 के खसरा नंबर 1168 रकबा 4.49 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 384 के खसरा संख्या 1126 रकबा 0.09 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीया देवीका के पति श्री जोगेन्द्रसिंह व प्रार्थी शिखर व शिखा के पिता जोगेन्द्रसिंह के फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 14 के 1 / 5 हिस्से में 1 / 3 हिस्से व प्रार्थी संख्या 02 व 03 का हरचन्द पुत्र शम्भु के हिस्से में जन्मसिद्व हक हकूक अधिकार होने से प्रार्थीगण का पुश्तैनी, जन्मसिद्व हक हकूक का आया हुआ है। जिस पर कब्जा काश्त भी पुश्तैनी रूप से प्रार्थीगण का चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढ़ाणी, पक्का मकान एवं कुआ स्थित है। उक्त आराजी को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया गया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है जो प्रार्थीगण के दादा हरचन्दराम के नाम है तथा प्रार्थीगण के पड़दादा शम्भुराम फौत होने पर प्रार्थीगण के दादा हरचन्दराम को पुश्तैनी प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। प्रार्थीगण व उनके पुश्तैनी कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग का आया हुआ है। संयुक्त आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का कण कण में पुश्तैनी हक हिस्सा, कब्जा मौजूद है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित है। प्रार्थीगण के दादा हरचन्दराम के हिस्से की भूमि में वादीगण का जन्मसिद्व हक हकूक है। वादग्रस्त संयुक्त पुश्तैनी भूमि है, प्रार्थीगण के राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तमाम दस्तावेज पेश है। वादग्रस्त भूमि में कण कण में प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है लेकिन वादग्रस्त भूमि का अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण के दादा/दादा ससूर हरचन्दराम ने प्रार्थीगण के जन्मसिद्व हक हिस्से, बंट की भूमि अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान दिनांक 20.10.2023 को मौजा खारा पटवार हल्का खारा के खेत खाता संख्या 383 के खसरा नंबर 1128 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1129 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1784/1130 रकबा 2.9462 हैक्टेयर, खसरा नंबर 574 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 8.25 हैक्टेयर कुल रकबा 12.4162 हैक्टेयर व खाता संख्या 385 के खसरा नंबर 1168 रकबा 4.49 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा इसी ग्राम के खेत खाता संख्या 384 के खसरा संख्या 1126 रकबा 0.09 के उपरोक्त तीनों खातों मे से हरचन्द 3.38574 हैक्टेयर भूमि संपूर्ण को अप्रार्थी संख्या 14 हरचन्दराम ने अप्रार्थी संख्या 09 भूपेश को अवैध व गैर कानूनी रूप से बैचान कर दी, जबकि प्रार्थीया देवीका के पति श्री जोगेन्द्रसिंह व वादी शिखर व शिखा के पिता जोगेन्द्रसिंह के फौत होन जाने पर हरचन्द के 1/5 हिस्से की भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण हक हकूक निहित हो चुका है लेकिन अप्रार्थी संख्या 14 हरचन्द ने अप्रार्थी संख्या 09 को अवैध व गैर कानूनी रूप से बैचान कर दिया, जिससे बैचान करने का कानूनी अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण के पिता दादा को अपने हिस्से से अधिक भूमि प्रार्थीगण के जन्मसिद्व हक व हिस्से की भूमि को बैचान करने का कानूनी अधिकार नहीं था, ऐसा अवैध व गैर कानूनी शून्य प्रभाव है। प्रार्थीगण के जन्मसिद्व हक हिस्से को प्रार्थीगण के दादा हरचन्दराम को हस्तान्तरण, बैचान, तर्क करनें का अधिकार कानूनी नहीं था उसके बावजूद प्रार्थीगण के दादा हरचन्दराम ने प्रार्थीगण को अपने हक से वंचित करने के आशय से एवं प्रार्थीगण को येन केन प्रकारेण नुकसान पहुंचाने एवं उक्त आराजी का दुव्र्यर्यन करनें या अन्य संक्रांत किये जाने के आशय से अवैध व गैर कानूनी बैचान किया है। प्रार्थीगण को अपने दादा द्वारा करवाया गया बैचान दस्तोवज का जानकारी नही रही, तथा भनक नहीं लगने दी। वादग्रस्त संयुक्त भूमि का येन केन प्रकारेण अवैध विधिविरूद्व तरीके से अप्रार्थीगण 09 भू–माफियाके जरिये गिरोह से जबरन अपनी मनमर्जी अनुसार कब्जा करवाना चाहते है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। वादग्रस्त प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्व हक हकूक अधिकार एवं कब्जाकाश्त है। अप्रार्थी हरचन्द को प्रार्थीगण की पुश्तैनी हक हिस्से को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी हक से अधिक भूमि अवैध रूप से बैचान कर दी है जिसे अप्रार्थी खरीददार को कोई कानूनी हक हकूक हासिल नहीं होते है। उपरोक्तानुसार प्रथम [illegible] मला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थीगण जबरन [illegible] वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी से बेदखल कर भूमि आगे से आगे से बैचान, रहन, तर्क, [illegible] आदि कर देगें तो ऐसी सूरत में वाद की बहुलताएं बढ़ेगी, कानूनी जटिलताएं बढ़े[illegible] प्रार्थीयागण को तरह तरह की मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने जन्मसिद्व हक से वंचित रह जायेंगे। प्रार्थीयागण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं

सहायक कलेक्टर, सांचौर
[illegible] अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है। इस प्रकार कानूनी अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधार स्तम्भ मुझ प्रार्थीयागण के पक्ष में है, जिससे प्रार्थीयागण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना–पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीयागण की पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूक की संयुक्त भूमि होने से उक्त भूमि के प्रार्थीयागण के कब्जे व काश्त करनें में दखलंदाजी, अवरोध न तो स्वयं करें तथा न ही अन्य किसी से करावें तथा उक्त आराजी में किसी प्रकार का जबरन प्रवेश कर कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे व करावें तथा बैचान दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार की नामान्तरकरण की कार्यवाही राजस्व रेकर्ड में नहीं करें एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थीयागण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 09 के अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मौजा खारा में आई हुई है लेकिन इस आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक हकूक नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता/पति जोगेन्द्रसिंह जो कि मुझ अप्रार्थी का सगा भाई था, को अप्रार्थी के पिता ने उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मेरे पिता अप्रार्थी हरचन्द उर्फ हरिराम ने दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया लिखाया तथा भारी भरकम खर्च कर उच्चस्तर शिक्षा दिलाई तब प्रार्थीगण के पिता/पति को अधिशाषी अभियन्ता की नौकरी मिली, इसके बाद प्रार्थीगण के पिता/पति जोगेन्द्रसिंह की बड़े धुम धाम से प्रार्थीया संख्या 01 के साथ शादी करवाई, इसके बाद अप्रार्थी के पिता ने व मैंने प्रार्थीगण के जोधपुर में मकान खरीदकर दिया, ग्राम जोरादर में खसरा नंबर 536/1158 रकबा 2.42 हैक्टेयर, खसर नंबर 538 रकबा 3.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 521 रकबा 2.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1352/1322 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434/1322 रकबा 7.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 436 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 437/1033 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 972/1034 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 467/1171 रकबा 2.42 हैक्टैयर भूमि का प्रतिफल मेरे पिता व मेरे द्वारा दिया जाकर बैचान दस्तावेज प्रार्थीया संख्या 01 के नाम करवाया तथा तमाम आराजी मेरे पिता व मेरी माता के जीवन यापन के लिये रखी गई, क्योकि मेरे पिता व मेरी करीब 80–82 वर्ष के वयोवृद्व होने से तथा उनकी हालत कमाने की न होने से उक्त आराजी को पांति पर काश्त करवाकर मेरे माता पिता अपना जीवन यापन करने लगे। प्रार्थीगण को पुश्तैनी आराजी में हक तभी मिल सकता है जब प्रार्थीगण अप्रार्थी हरचन्द व उनकी पत्नी के इलाज, भरण पोषण, खान पान, आवा[illegible] आदि की जिम्मेदारी निभाये, लेकिन प्रार्थीगण ऐसी कोई जिम्मेदारी [illegible] भी प्रार्थीगण के नाम ग्राम जोरादर में आराजी प्रार्थीगण को अप्रार्थी [illegible] व मेरे द्वारा प्रतिफल अदा कर दे रखी है तथा इसके अलावा भी अप्रार्थी हरचन्द उर्फ ह[illegible] के नाम सरहज मौजा जाणीयों की ढ़ाणी पटवार हल्का बोर चारणाव तहसील धोरीमन्ना में खसरा नंबर 9 रकबा 11.2017 हैक्टेयर भूमि जिसमें 1/5 हिस्सा स्थित है उसमें प्रार्थीगण यदि अप्रार्थी हरचन्द उर्फ हरिराम

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के खान पान, रहन सहन, इलाज हेतु खर्च आवास व्यवस्था कपड़े आदि की व्यवस्था करे तो उसमें हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी रहते है लेकिन प्रार्थीगण उनकी गंभीर बीमारी पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हकूक नही बनता है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा, ढ़ाणी, कुआ आदि मुझ अप्रार्थी भूपेश चौधरी का है। प्रार्थीगण का निवास जोधपुर में है। अतः प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीगण यदि अपनी नैतिक ड्यूटी निभाते है तो ही जन्मसिद्व हक पाने के अधिकारी रहते है वरना हरचन्द उर्फ हरिराम के जीवनकाल में प्रार्थीगण को अप्रार्थी हरचन्द व हरचन्द की धर्मपत्नी के इस विकट परिस्थितियों मे प्रार्थीगण कोई देख रेख, इलाज, भरण पोषण नहीं करने के कारण प्रार्थीगण को कोई हक नहीं मिलता है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी का निवास जोधपुर है अतः सारे तथ्य मनगढ़त लिखाये है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 15 हरचन्द के अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि इस आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक हकूक नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता/पति जोगेन्द्रसिंह जो कि अप्रार्थी का पुत्र था, को अप्रार्थी ने उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया लिखाया तथा भारी भरकम खर्च कर उच्चस्तर शिक्षा दिलाई तब प्रार्थीगण के पिता/पति को अधिशाषी अभियन्ता की नौकरी मिली। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के जोधपुर मे मकान खरीदकर दिया, ग्राम जोरादर में खसरा नंबर 536/1158 रकबा 2.42 हैक्टेयर, खसर नंबर 538 रकबा 3.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 521 रकबा 2.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1352/1322 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434/1322 रकबा 7.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 436 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 437/1033 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 972/1034 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4[illegible]/1171 रकबा 2.42 हैक्टैयर भूमि क प्रतिफल मेरे द्वारा दिया जाकर बैचान दस्तावेज [illegible]दीया संख्या 1 के नाम करवाया तथा आराजी मेरे व मेरी पत्नी के जीवन यापन के लिये रखी गई, क्योंकि मैं व मेरी पत्नी करीब 80–82 वर्ष के वयोवृद्व होने से तथा हमारी हालत काने की न होने से उक्त आराजी को पांति पर काश्त करवाकर मेरे व मेरी धर्मपत्नी का जीवन यापन करने लगे। प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई हक हकूक नहीं मिलता है तथा न ही प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में कोई हक पाने के अधिकारी ही है, क्योंकि प्रार्थीगण को हर माह करीब एक लाख रूपये सरकारी सहायता व मुझ अप्रार्थी के पुत्र जोगेन्द्रसिंह के फौत होने पर प्रार्थीगण को सरकार की ओर से 50 लाख रूपये मिलने के उपरान्त भी प्रार्थीगण मेरा व मेरी पत्नी का इलाज भरण पोषण र[illegible] की व्यवस्था नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी का निवास जोधपुर है अतः [illegible] मनगढ़त लिखाये है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना[illegible]मय खर्चा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर [illegible]न किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा खारा पटवार हल्का खारा में खेत खाता संख्या 383 के खसरा नंबर 1128 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1129 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1784/1130 रकबा 2.9462 हैक्टेयर, खसरा नंबर 574 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 575 रकबा 8.25 हैक्टेयर कुल रकबा 12.4162 हैक्टेयर व खाता संख्या 385 के खसरा नंबर 1168 रकबा 4.49 हैक्टेयर, खाता संख्या 384 के खसरा संख्या 1126 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner